न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
ओमप्रकाश रैगर (आरटीएस)

मि.न. 45/2020 दिनांक 5.4..2021

सरकार बना कैलाश वगै0

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान उपस्थित।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सरूण्ड ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम सरूण्ड तहसील कोटपूतली के ख0 न0 144/14.32 है0 किसम गै0मु0 नदी में से 0.50 भूमि पर कैलाश, गजानन्द, हरिसिंह पुत्र गोकुल चन्द जाति मीणा निवासी सरूण्ड ने फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया हैं।

अतः रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये। सूचना के उपरान्त गैर सायलान उपस्थित आये परन्तु कोई जबाब, दस्तावेज पेश नही किया जिसके आधार पर गैर सायल को अनुतोष दिया जा सके। हमने पटवारी रिपोर्ट, पत्रावली में संलग्न दस्तवेजों पर गोर किया तो विवेचन में पाया कि गैर सायल का उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण किया जाना स्वतः ही सिद्व होता है अतः अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अगर अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी ।

अतः गैर सायलान कैलाश, गजानन्द, हरिसिंह पुत्र गोकुल चन्द जाति मीणा निवासी सरूण्ड तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम सरूण्ड के ख0 न0 144/14.32है0 किस्म गै0मु0नदी में 0.50 है भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजीयात पर बोई फसल को पूर्व निर्देशानुसार भू0अ0निरीक्षक द्वारा फसल निलाम की जाकर फर्द निलामी पेश की जा चुकी है अतः गैरसायलान को उक्त आराजीयात से भौतिक रूप से बैदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 20 रू. का पचास गुणा 1000 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते बेदखली आदेश जारी हों ।मांग कायमी टी. आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 5.4.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

वर्ष 2021 ... 0... ...... क. पा० सं० 4
के पृष्ठ संख्या 28.. पर 1000/-
दर्ज ... किये गये।

राजस्व/लेखाधिकारी
कोटपूतली

5-4-2021
नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)